

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—44/2021 (2021/144) वादपत्र

अनवान

1. मांगु पिता रतु खाती निवासी नाबरिया, तहसील आमेट जिला राजसंमद

वादी

बनाम

1. गोपी पिता रतु खाती निवासी नाबरिया, तहसील आमेट जिला राजसंमद
2. लक्ष्मण पिता रतु खाती निवासी नाबरिया, तहसील आमेट जिला राजसंमद
3. बालु पिता रतु खाती निवासी नाबरिया, तहसील आमेट जिला राजसंमद
4. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 08.02.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 23.11.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम छातोल पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी कृषि एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 36 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 44 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 50 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 57 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 62 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 69 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 73 रकबा 0.01 है0 गे.मु.खड़डा, आराजी संख्या 75 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 81 रकबा 0.11 है0 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 1.53 है0 भूमि में वादी का 1/4 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 18.01.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।



*Ans*

## आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम छातोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 34 में प्रस्तावित आराजी संख्या 44/2 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 81 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 है0 भूमि मांगु पिता रत्तु खाती सा. नाबरिया तह. आमेट रहन सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 36 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 44/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 50 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 57 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 62 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 69 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 73 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 75 रकबा 0.24 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.23 है0 भूमि गोपी, बालु, लक्ष्मण पिता रत्तु 3/4, थगनी पत्नि रत्तु 1/5 खाती सा. नाबरिया खातेदार रहन सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*  
08/02/2022  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्दा दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:—44/2021 (2021/144) वादपत्र

अनवान

1. मांगु पिता रतु खाती निवासी नाबरिया, तहसील आमेट जिला राजसंमद

वादी

बनाम

1. गोपी पिता रतु खाती निवासी नाबरिया, तहसील आमेट जिला राजसंमद
2. लक्ष्मण पिता रतु खाती निवासी नाबरिया, तहसील आमेट जिला राजसंमद
3. बालु पिता रतु खाती निवासी नाबरिया, तहसील आमेट जिला राजसंमद
4. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम छातोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 34 में प्रस्तावित आराजी संख्या 44/2 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 81 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 है0 भूमि मांगु पिता रतु खाती सा. नाबरिया तह. आमेट रहन सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 36 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 44/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 50 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 57 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 62 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 69 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 73 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 75 रकबा 0.24 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.23 है0 भूमि गोपी, बालु, लक्ष्मण पिता रतु 3/4, थगनी पत्नि रतु 1/5 खाती सा. नाबरिया खातेदार रहन सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 08.02.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



*Sundar Lal Bumboda*  
08.02.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा